



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, करौली)

(फोन नं. 07464-294026, ईमेल-dlsa25karauli@gmail.com)

क्रमांक:डालसा/2024/108

दिनांक:- 30.07.2024

:: विज्ञप्ति ::


राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 8818 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के अधीनस्थ कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, करौली हेतु निम्न पूर्णतया अस्थायी संविदा पदों हेतु राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/पारिश्रमिक(रूपयें में)
ऑफिस असिस्टेंट	3	14000/-
रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	14000/-
ऑफिस पिओन	3	11000/-
कुल योग	7	

उपरोक्त सहयोगी मानव संसाधनों की भर्ती निम्न माध्यमों से की जानी है :-

- 1- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28 मार्च 2023 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार भर्ती की जा सकती है।
- 2- सैनिक कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(1)सै.क./2023/31 दिनांक 17.04.2008, प.10(9)सै.क./2012 पार्ट दिनांक 16 मार्च 2017 तथा प.6(1)सै.क./2018 पार्ट दिनांक 07.04.2022 (यथा संशोधित) के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर प्रतिमाह पारिश्रमिक के आधार पर भर्ती की जा सकती है।
- 3- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 तथा प.9(1)वित्त-1(1)बजट/2001 दिनांक 30.05.2001 (अनुलग्नक) (यथा संशोधित) के अनुसार मानव संसाधन के उपापन की प्रक्रिया के अनुसार भर्ती की जा सकती है।
- 4- आरटीपीपी एक्ट 2012, नियम 2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाएं ली जा सकती हैं, जिसमें GEM प्रक्रिया भी सम्मिलित है।

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 14.08.2024 को कार्यालय समय में सायं 05 बजे तक जरिये ई-मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।



सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
करौली

क्रमांक: डालसा / 2024 / 2075

दिनांक:— 30.07.2024

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

- 1- श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
- 2- श्रीमान अध्यक्ष / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
- 3- श्रीमान जिला कलेक्टर, करौली को समस्त विभागों / PSUs में सूचित करने बाबत।
- 4- अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, हिण्डौन / श्रीमहावीरजी / टोडाभीम।
- 5- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा / नादौती।
- 6- जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, करौली।
- 7- जिला सूचना एवं संपर्क अधिकारी, करौली को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 8- जिला नियोजन अधिकारी, करौली।
- 9- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय करौली को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 10- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
करौली

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली (राज.)

॥ राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन-पत्र ॥

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर :
5. आयु : वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :
7. मूल विभाग का नाम :
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :
9. अनुभव :
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न करें) :
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति संलग्न करें) :
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्त के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
सेवानिवृत्त कर्मचारी

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 14 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी..... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती रूपयें मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील